न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –958 / 2024

अनवान : –

1. सन्तोष पुत्र गुगनराम पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी गुडिया खेडा तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
2. कमला पुत्री गुगनराम पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी गुडिया खेडा तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
3. कृष्णा पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी गुडिया खेड़ा तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

– **वादी**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादी**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः –25/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 17 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 60 / 60 के प0न0 336 / 403(38) 17 ता 25 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट भूमि कुल 2.0240 हैक्ट भूमि मृतका फुलीदेवी पत्नी गुगनराम जाति जाट निवाी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

मृतका फुलीदेवी पत्नी गुगनराम का दिनांक 08.05.2022 को स्वर्गवास हो चुका है जिसकी सेवा व देखभाल व सेवा चाकरी वादीया ही करती थी इनके प्रेम व स्नेह से खुश होकर मृतका फुलीदेवी पत्नी गुगनराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 22.08.2016 को एक वसीयत की थी जिसके अनुसार रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के प0न0 336 / 403(38) 17 ता 25 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट कुल 2.0240 हैक्ट भूमि यानि अपनी समस्त भूमि की वसीयत अपनी पुत्रीयों वादीया संख्या 1 ता 2 व भानजी वादीया स0 3 तीनों के पक्ष में बहिब करवाई थी। फुलीदेवी पत्नी गुगनराम ने यह पहली व अंतिम वसीयत थी जो की वसीयकर्ता ने अपने होश हवास स्वस्थ मन बुद्धि में तहरीर करवाई थी तथा वसीयत में लिखा था कि जब तक मैं जिवित हू तब तक उक्त भूमि की मालिक रहूगी तथा मेरी मौत के बाद उक्त कृषि भूमि वसीयत के अनुसार मु0 सन्तोष देवी, मु0 कमला देवी, मु0 कृष्णा देवी को ही मिलेगी अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक हिस्सा नही है।

वादी भूमि को फुली देवी पत्नी गुगनराम ने जरिये बैयनामा दिनांक 27.06.2007 को खरीद की थी जो उसकी स्वयं की पैदा कर्ता भूमि है जिसकी वसीयत वादीगण के पक्ष में दिनांक 22.08.2016 को दो गवाह [illegible] जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर व सतपाल पुत्र गुगनराम जाति जाट [illegible] तहसील भदरा की मौजूदगी में उक्त वसीयत पर वसीयतकर्ता ने [illegible] किये थे तथा वसीयत में दोनो गवाहो के हस्ताक्षर करवाये थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:00:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा कि जावें की उक्त वाद भूमि का मुताबिक वसीयत वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया । वसीयत के संबंध में वसीयत के गवाह श्री शेरसिंह पुत्र जीवणाराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर ने शपथ पत्र पेश किया की उक्त वसीयत सही है एवं वसीयत फुली देवी द्वारा अपनी पुत्रीयों वादीगण संख्या 1 ता 2 व भतीजी वादी संख्या 1 के पक्ष में हमारे सामने निष्पादित की गई है उक्त वसीयत सही है। वसीयतकर्ता का देहांत हो चुका हे। उक्त वसीयत पर बतौर गवाह मेरे हस्ताक्षर है। वाद भूमि बाबत कोई विवाद नही है उक्त वाद भूमि पर वादीगण काबिज है। वसीयत के संबंध में संदीप कुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी 16 जेएसएन गुडिया, रोहिताश कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी 16 जेएसएन गुडिया, जयवीर पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी 16 जेएसएन गुडिया द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर साक्ष्यवादी जमाबंदी रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 60/60 सम्वत 2076–79, चित्रप्रति वसीयतनामा दिनांक 22.08.2016 मृत्यु प्रमाण पत्र फुली, रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 22.06.2007 पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में फुलीदेवी के नाम दर्ज है। मृतका फुलीदेवी पत्नी गुगनराम का दिनांक 08.05.2022 को स्वर्गवास हो चुका है जिसकी सेवा व देखभाल व सेवा चाकरी वादीया ही करती थी इनके प्रेम व स्नेह से खुश होकर मृतका फुलीदेवी पत्नी गुगनराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 22.08.2016 को एक वसीयत की थी जिसके अनुसार रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के प0न0 336/403(38) 17 ता 25 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट कुल 2.0240 हैक्ट भूमि यानि अपनी समस्त भूमि की वसीयत अपनी पुत्रीयों वादीया संख्या 1 ता 2 व भानजी वादीया स0 3 तीनों के पक्ष में बहिब करवाई थी। फुलीदेवी पत्नी गुगनराम ने यह पहली व अंतिम वसीयत थी जो की वसीयकर्ता ने अपने होश हवास स्वस्थ मन बुद्धि में तहरीर करवाई थी तथा वसीयत में लिखा था कि जब तक मैं जिवित हू तब तक उक्त भूमि की मालिक रहूगी तथा मेरी मौत के बाद उक्त कृषि भूमि वसीयत के अनुसार मु0 सन्तोष देवी, मु0 कमला देवी, मु0 कृष्णा देवी को ही मिलेगी अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक हिस्सा नही है। अतः मुताबिक वसीयत वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:00:13 IST
Reason: SelfAttested

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 17 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 60/60 के प0न0 336/403(38) 17 ता 25 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट भूमि कुल 2.0240 हैक्ट भूमि मृतका फुलीदेवी पत्नी गुगनराम जाति जाट निवाी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुताबिक वसीयत फुलीदेवी ने दिनांक 22.08.2016 को उक्त भूमि की वसीयत वादी के पक्ष में करवाई थी जो की उप पंजीयक नोहर द्वारा तस्दीक की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा के मुताबिक उक्त वाद भूमि वसीयतकर्ता की स्वयं अर्जित भूमि है। वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के मुताबिक फुलदेवी का दिनांक 08.05.2022 को देहान्त हो चुका है। वसीयत के संबंध में वसीयत के गवाह श्री शेरसिंह पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर ने शपथ पत्र पेश किया की 22.08.2016 को एक वसीयत की थी जिसके अनुसार उक्त वाद भूमि की वसीयत अपनी पुत्रीयों वादीया संख्या 1 ता 2 व भानजी वादीया स0 3 तीनों के पक्ष में बहिब करवाई थी। उक्त वसीयत सही है एवं वाद भूमि बाबत कोई विवाद नही है। वसीयत के संबंध में संदीप कुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी 16 जेएसएन गुडिया, रोहिताश कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी 16 जेएसएन गुडिया, जयवीर पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी 16 जेएसएन गुडिया द्वारा शपथ पत्र पेश किया। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 60/60 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में फुलदेवी पत्नी गुगनराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीयान संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:00:13 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या —958 / 2024

अनवान : —

1. सन्तोष पुत्र गुगनराम पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी गुडिया खेडा तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
2. कमला पुत्री गुगनराम पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी गुडिया खेडा तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
3. कृष्णा पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी गुडिया खेड़ा तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

— **वादी**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— **प्रतिवादी**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 958 सन 2024 निर्णय दिनांक-25/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 60 / 60 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में फुलदेवी पत्नी गुगनराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीयान संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक..25/11/2024..कों मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:00:13 IST
Reason: SelfAttested